संख्या-4-97 / 77-3-16-522(एम)/ 2014

प्रेषक,

अनिल कुमार,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

हरदोई ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 **लखनऊ:दिनांक: 03 मार्च, 2016**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2015-16 में "आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना" हेतु रू0 6,07,100.00 की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-2132 यूपीडा/ 14/ 216, दिनांक 07.01.2016 में "आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना" के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान सं0-7 लेखाशीर्षक- "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-03-आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे परियोजना-24 बृहद निर्माण कार्य" में प्राविधानित धनराशि रू02320.00 करोड़ में से निर्गत वित्तीय स्वीकृति रू0 1564.11 [redacted] के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0755.89 करोड़ में से रू06,07,100.00(रूपये छ:लाख सात हजार सौ मात्र)कीधनराशि परियोजना से आच्छादित जनपद-हरदोई के जिलाधिकारी की अपेक्षानुसार भूमि अधिग्रहण/ क्रय मद में वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखितशर्तो के अधीन

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) धनराशि आहरित करके सम्बन्धित जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।

(2) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(4) यूपीडा यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि चूंकि भूमि अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा रही है अत: पूर्व में इन जनपदों को उपलब्ध करायी गयी समस्त धनराशि नियमानुसार व्यय की जा चुकी है।

(5) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये। अत: जिलाधिकारी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर लेंगे।

(6) धनराशि सक्षम स्तर के अनुमोदन से नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014,दिनांक 22.07.2014 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही रू0 6,07,100.00 (रूपये छ:लाख सात हजार सौ मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक-'5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

सड़क निर्माण कार्य-03-आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे परियोजना-24 बृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/ 2015/ बी-1-925/ दस-2015-231/ 2015, दिनांक 30.03.2015 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

संख्या- 97(1)/ 77-3-16-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1.महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2.महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3.मुख्य कार्यपालक अधिकारी,यूपीडा,पर्यटनभवन,गोमतीनगर लखनऊ।
4.मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, हरदोई ।
5.निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6.वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
7.वित्त (आय-व्ययक्) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-4 ।
8.गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।